मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ. 11-16-2012/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लिए जाने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त.

संदर्भ.—वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 3-1-2006-नियम चार, दिनांक 24-6-2006 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 3-1-2007-नियम-चार, दिनांक 26-10-2007.

शासकीय कार्यों के संदर्भ में विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा विभाग में वाहनों की कमी के चलते, मासिक आधार पर, वाहन किराये पर ली जाती है. मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु शासकीय धन के उचित उपयोग एवं एकरूपता की दृष्टि से संदर्भित निर्देश प्रसारित किये गये हैं. शासन के ध्यान में आया है कि शासकीय कार्य हेतु निजी वाहन किराये पर लिए जाने पर विभिन्न कार्यालयों/विभागों द्वारा अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है.

2. अतः वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2006/नियम/चार, दिनांक 24-6-2006 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2007/नियम/चार, दिनांक 26-10-2007 को निरस्त करते हुये शासकीय कार्यों के संदर्भ में विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निम्न लिखित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :—

(1) वाहन किराये पर लेने की स्वीकृति पूर्वानुसार वित्त विभाग द्वारा दी जावेगी. वाहन किराये पर लेने की व्यवस्था संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी.

(2) वाहन किराये पर लेने हेतु मासिक दरें नियमानुसार, सेवाकर (Service Tax) हेतु पंजीकृत फर्मों/संस्थाओं से, निविदा आमंत्रित कर निर्धारित कर निर्धारित की जानी चाहिए. सेवाकर हेतु पंजीकरण न होने की दशा में यह सुनिश्चित किया जाये कि संबंधित संस्था/फर्म द्वारा टैक्सी सेवाओं का दिया जाना, प्रचलित नियमों में अनुमत्य है. किराये पर लिये जाने वाले वाहनों हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर निविदा के माध्यम से ही आफर्स प्राप्त किये जाने चाहिये.

(3) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड वाहन ही किराये पर लिए जाए.

(4) जिन अधिकारियों हेतु वाहन किराये पर लिए जा रहे हैं उन अधिकारियों के मूल पद के ग्रेड-पे के आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं :—

(i) रुपये 5400 एवं रुपये 6600 ग्रेड पे पाने वाले अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा रुपये 3.5 लाख (Ex-show room price) तक होगी.

(ii) रुपये 7600 ग्रेड पे पाने वाले अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा रुपये 4.25 लाख (Ex-show room price) तक होगी.

(iii) रुपये 8700 एवं रुपये 8900 ग्रेड पे पाने वाले अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा रुपये 6.50 लाख (Ex-show room price) तक होगी.

(ii) रुपये 10,000 ग्रेड पे पाने वाले एवं रुपये 67,000-79,000 उच्च स्तरीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा रुपये 7.50 लाख (Ex-show room price) तक होगी.

(5) मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिए जाने हेतु मुख्यालय पर अधिकतम 1000 किलोमीटर की सीमा को आधार माना जाए. इस हेतु प्रतिदिन किराये के वाहन की उपलब्धता हेतु समय भी निर्धारित किया जा सकता है, जो 12 घंटे से अधिक न हो. वाहन किराये के फिक्स्ड चार्जेज निर्धारित किए जाना चाहिए.

(6) किराये पर वाहन लेने हेतु निविदा आमंत्रण में मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्स्ड चार्ज तथा मुख्यालय से बाहर भ्रमण हेतु वेरिएबल चार्ज (variable charge per km. charge) पृथक्-पृथक् प्राप्त करना चाहिए.

(7) सामान्यतः शासकीय कार्य से यात्रा करने पर लोक-वाहक से ही यात्रा की जाना चाहिये परन्तु अपरिहार्य स्थिति में किराये की गाड़ी का उपयोग करने की स्थिति में इसका अनुमोदन नियंत्रण अधिकारी से होना अनिवार्य होगा. इस हेतु नियंत्रण अधिकारी को कारण सहित किराये की गाड़ी से मुख्यालय के बाहर यात्रा करने के आदेश जारी करने होंगे. ऐसी स्थिति में कण्डिका 6 में दर्शाये अनुसार वेरियबल चार्ज अनुसार भुगतान किया जा सकेगा.

(8) प्राप्त निविदाओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन (analysis and evaluation) फिक्सड चार्जेस (Fixed charges), वेरिएबल चार्जेस (variable charges), मुख्यालय के बाहर की यात्राओं हेतु अनुमानित निर्धारित औसत दूरी आदि कारकों (Factors) के आधार पर किया जाये एवं तदनुसार सफल निविदाकारों को क्रमबद्ध किया जाए ताकि वाहनों की अधिप्राप्ति हेतु उपयुक्त एवं सही दरें निर्धारित हो सकें.

(9) उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर विभागाध्यक्ष द्वारा प्राप्त निविदओं का मूल्यांकन कर उत्तरकारी निविदाओं (responsive tenders) को क्रम बद्ध कर संविदा प्रदाय हेतु सफल निविदाकार का चयन किया जाये.

(10) संविदा के कार्यान्वयन की अवधि में सेवा प्रदाता द्वारा संविदा का निष्पादन भली प्रकार किया जा रहा है इसका निरंतर परिवीक्षण (Monitorning) भी विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाये.

(11) यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. इस आदेश के जारी होने के पूर्व तत्समय जारी निर्देशों/शर्तों के अनुसार कार्यालयों द्वारा किराये पर लिये गये वाहनों के संबंध में पूर्व निर्देश/शर्तें ही संविदा अवधि समाप्त होने तक लागू रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

शाकेमुभो—85—असविवि—3-5-13-1000.